न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 169 / 2023(GCMS : 2023/347)

चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाईनैंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – प्रथम माला, डेयर हाउस नं. 2,एन.एस.सी., बोस रोड़, चेन्नई–600001। शाखा कार्यालय सैकिण्ड फ्लोर 191–जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर। जरिये एरिया कलैक्शन मैनेजर इन्द्रजीत सिंह धेतरवाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट, **हाल** निवासी 191 जी ब्लॉक, सैकिण्ड फ्लोर, पीटर इंग्लैण्ड शॉरूम के ऊपर, सुखाड़िया सर्किल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **मोहम्मद सल्देरा** पुत्र श्री मोहम्मद बक्श, निवासी वार्ड नं. 11, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335705। द्वितीय पता पट्टा नं. 09, बुक नं. 53, ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804
2. **साई दाबी** पत्नी श्री मोहम्मद सल्देरा, निवासी वार्ड नं. 11, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335705। द्वितीय पता पट्टा नं. 09, बुक नं. 53, ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335804

21.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मोहम्मद सल्देरा एवं साई दाबी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 20.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 20.12.2022 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मोहम्मद सल्देरा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 09, बुक नं. 53 (क्षेत्रफल 41 गुणा 45 वर्गफुट), ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मोहम्मद सलदेरा एवं साई दाबी को ऋण सुविधा के** रूप में 20.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) **की राशि की स्वीकृति**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 20.12.2022 / 30.11.2022 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहम्मद सल्देरा ने अपनी **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 09, बुक नं. 53 (क्षेत्रफल 41 गुणा 45 वर्गफुट), ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.08.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को प्रार्थना पत्र अनुसार धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 17.08.2023** को जारी कर दिनांक 19.08.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी मोहम्मद सल्देरा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 09, बुक नं. 53 (क्षेत्रफल 41 गुणा 45 वर्गफुट), ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05.15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.08.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.08.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण दिनांक 19.08.2023 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके** परिणामस्वरूप **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मोहम्मद सल्देरा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक चोला मंडलम एंड फाईनैंस कम्पनी लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मोहम्मद सल्देरा **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 09, बुक नं. 53 (क्षेत्रफल 41 गुणा 45 वर्गफुट), ग्राम सरदारगढ़, ग्राम पंचायत सरदारगढ़, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर